भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1040
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं की पुन: परीक्षा

†1040. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार परीक्षा में कदाचार और परीक्षा रद्द होने की स्थिति में छात्रों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में आयोजित नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं की पुन: परीक्षा कराने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भ्रम और चिंता दूर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और अभिभावकों को निर्णय के बारे में प्रभावी ढंग से बताने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार परीक्षा के संबंध में अनिश्चितता के कारण छात्रों को हुए आर्थिक नुकसान और मानसिक क्षति की क्षतिपूर्ति करने की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ङ) नीट (यूजी) 2024 की पुन: परीक्षा की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपीसी 335/2024 और नीट (यूजी) 2024 परीक्षा से जुड़े मामलों में दिनांक 23 जुलाई, 2024 के आदेश में कहा है कि, "की गई जांच के आधार पर संपूर्ण नीट (यूजी) 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है जो इस न्यायालय के निर्णयों में या अभिलेख में उपलब्ध आंकड़ों और सामग्री के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं."

यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने पहले ही उम्मीदवारों को दिनांक 24 जून, 2024 को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित कर दिया है कि यूजीसी-नेट जून

2024 परीक्षा 21 अगस्त, 2024 और 4 सितंबर, 2024 के बीच अब सी.बी.टी. मोड में आयोजित की जाएगी।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपायों का सुझाव देने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष और बीओजी, आईआईटी कानपुर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के अधिदेश में एंड-टू-एंड परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण, मानक संचालन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल की पूरी तरह से समीक्षा और मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन शामिल है। समिति दो महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के एक निवारण के रूप में, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 बनाया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हुआ है और 23 जून, 2024 को नियमों को इसके तहत भी अधिसूचित किया गया है।

*****